



Neutral Citation No. - 2026:AHC:42233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2520/2026

सत्यवान सिंह और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद उमर खान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता 11 जून, 1999 के सरकारी आदेश (जिसे 8 दिसंबर, 2008 के आदेश के साथ पढ़ा जाए) के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं; और उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात पहले ही रख दी है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले की जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने का निर्देश दिया जा सकता है, और कानून के अनुसार उचित निर्णय लिया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर मकान किराया भत्ते के अपने दावे के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदनों में उठाई गई शिकायतों पर विचार करेंगे और कानून के पूर्णतः अनुरूप, अगले दो महीनों की अवधि के भीतर उन पर निर्णय लेंगे।
5. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, पारित किया जाने वाला आदेश तर्कसंगत और सकारण आदेश होना चाहिए।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”